मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1160
11.12.2023 को उत्तर के लिए

वाहनों से वायु प्रदूषण

1160. डॉ. रामशंकर कठेरिया :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का एक प्रमुख कारण मानती है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समस्या से निपटने के लिए वाहनों की आवाजाही से संबंधित नियमों में कोई परिवर्तन किया है अथवा करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विद्युत अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वायु प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार प्रमुख कारकों में वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों और सड़कों/खुले क्षेत्रों से धूल, बायोमास और अपशिष्ट जलना आदि शामिल हैं।

सरकार ने वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के बाकी हिस्सों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाया गया है।
ख. देशभर में 01.04.2020 से बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों से सीधे बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों को अपनाया गया है।
ग. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण (फेम-II इंडिया) योजना के तहत ई-वाहनों और चार्जिंग अवसंरचना पर सब्सिडी दी गई है।
घ. सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण शुरू किया है। 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है और इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है।

ड. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से सुनिश्चित की गई उनकी उपयोगिता के आधार पर देश भर में पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन प्रणाली शामिल है।

च. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. अधिसूचना सं. 29(अ) दिनांक 16.01.2023 के तहत प्रावधान किया है कि केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगमों या नगर पालिकाओं या पंचायतों), राज्य परिवहन उपक्रमों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र का पंद्रह वर्ष की समाप्ति के बाद नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

वाहन प्रदूषण को कम करना सरकार के ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के माध्यम से, सरकार ने संबंधित राज्यों और जीएनसीआईडी को अपने अधिकार क्षेत्र में निर्बाध यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

संबंधित राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (संशोधित) नियम, 2021, दिनांक 14.06.2021 के अनुपालन में नए 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी)' प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन और स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों तथा ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(ग) ई-अपशिष्ट के प्रबंधन को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत विनियमित किया जाता है। नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार, ये नियम अनुसूची-I में सूचीबद्ध ई-अपशिष्ट या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) पर लागू होते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन अनुसूची-I के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, इसलिए ये नियम इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं होते हैं।

ई-वाहनों के उपयोग की अवधि समाप्त होने पर ई-वाहनों के लिए स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्क्रैपिंग केंद्रों को, अधिसूचना 'मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का पंजीकरण और कार्य) नियम' के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार और सीपीसीबी द्वारा जारी 'वाहनों के उपयोग की अवधि समाप्त' (ईएलवी) होने पर उनकी हैंडलिंग और स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरणीय रूप से अनुकूल केन्द्रों हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।

मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आयुक्त (परिवहन), वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी हैं। इसके अलावा, वाहन स्क्रैपिंग से संबंधित गतिविधियों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियमों के तहत, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसे स्क्रैपिंग केंद्रों को सहमति और प्राधिकरण प्रदान करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी हैं।

*****